कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. : ईएलआई/ईसीआर में सकल वेतन/2025/ई-1132964

दिनांक: 22.07.2025

परिपत्र

विषय: रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मासिक ईसीआर में सटीक सकल वेतन प्रस्तुत करने के संबंध में।

रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना में नियोक्ता और कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जहाँ प्रोत्साहन की पात्रता केवल उन्हीं मामलों में उपलब्ध है जहाँ किसी भी कर्मचारी का सकल वेतन एक लाख रुपये से अधिक न हो।

अतः, यह अनिवार्य हो गया है कि सभी नियोक्ता ईसीआर के संबंधित क्षेत्र में कर्मचारियों के सकल वेतन से संबंधित जानकारी सही ढंग से प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के मद्देनजर, एतद्द्वारा यह दोहराया जाता है कि सभी नियोक्ताओं को वेतन माह अगस्त 2025 से दाखिल की जाने वाली ईसीआर में सकल वेतन से संबंधित सही प्रविष्टि सुनिश्चित करनी होगी।

सभी अंचलों/क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्थापनाओं द्वारा ईसीआर में सही सकल वेतन प्रस्तुत करने की उपर्युक्त आवश्यकता का व्यापक प्रचार करें।

(केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

22.7.25

(पी. बी. वर्मा)

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अनुपालन)

सेवा में,

सभी अ. कें. आ. (मुख्या.)/ अ. कें. आ. (अंचल)
सभी क्षे. भ. नि. आ. -I/ क्षे. भ. नि. आ. -II/सभी सहा. भ. नि. आ. प्रभारी
क.भ.नि.सं. के अंतर्गत आने वाली सभी स्थापनाओं के नियोक्ता (क.भ.नि.सं. की वेबसाईट के माध्यम से)

प्रतिलिपि:

I. के.भ.नि.आ. के निजी सचिव – सूचनार्थ।
II. वि.सला. और मु.ले.अधि. के निजी सचिव-सूचनार्थ।
III. के.भ.नि.आ.मुख्या. (सू. से.) से इस पत्र की पीडीएफ को नियोक्ता और सदस्य पोर्टल पर डालने का अनुरोध।
IV. वेब प्रशासन को क.भ.नि.सं. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Smriti Kumari